

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1043 सन 2021

अनवान :-

1. अशोक कुमार पुत्र देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. मनोहरलाल पुत्र भीखमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र भीखमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
4. रूकमणी पत्नी देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
5. दिव्या पुत्री देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
6. ललिता पुत्री देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 08.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 24/24 की कुल 2.7830 हैक् भूमि में वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक 1/15 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 1/15 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 एनटीआर के खाता संख्या 36/36 की कुल 8.6020 हैक् में से वादी 1, 2 प्रत्येक 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 1/15 हिस्सा तथा रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 96/96 की कुल 4.3010 हैक् में से 7/17 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भीखमचन्द के नाम से दर्ज थी वादी के दादा भीखमचन्द के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 वादी की बहने हैं एवं देवीदत्त की पुत्री हैं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने काश्त व सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं वादीगण एवं प्रतिवादी के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व किराई में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कह कर वादीगण के हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, ता 6 के नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भीखमचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भीखमचन्द के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भीखमचन्द के नाम से दर्ज है वादी के दादा भीखमचन्द के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है0 भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0 नं0 343/417 (14) के किला नं. 4/1 की 0.228 है0, 4/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 की 0.2270 है0 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6 व 15 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 343/416 (11) के किला नं. 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है0 व 24 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 344/417 (15) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0 1/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0, 21/1 की 0.107 है0, 21/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 21/3 की 0.108 है0 भूमि प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 21 मिन पूर्व की 0.1265 है0 कुल तादादी 3.9215 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 10 मिन दक्षिण की 0.0375 है0, 11 मिन पूर्व की 0.2405 है0, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 19 की 0.253 है0, 20 मिन पूर्व की 0.2405 है0, 21 मिन मध्य की 0.1140 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 344/417 (15) 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है0, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13/1 की 0.107 है0, 13/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 13/3 की 0.108 है0, 18 की 0.253 है0, 19/1 की 0.107 है0, 19/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 19/3 की 0.108 है0 कुल तादादी 3.9215 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 है0, 10 मिन उत्तर की 0.2155 है0, 11 मिन पश्चिम की 0.0125 है0, 20 मिन पश्चिम की 0.0125 है0,

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

21 मिन पश्चिम की 0.0125 है0 कुल तादादी 0.759 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 96/96 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.3010 है0 भूमि में से 7/17 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 यथावत रखी जावे तथा रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 24/24 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0 नं0 332/423 (46) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.228 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0 प0 नं0 332/422 (43) के किला नं. 21 मिन उत्तर पश्चिम की (पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर बीघा के आधा हिस्सा तक चौड़ाई 1 गट्टा रहेगी) 0.126 है0, 22 मिन उत्तर की 0.127 है0, 23 मिन उत्तर की 0.126 है0, 24 मिन उत्तर की 0.127 है0, 25/1 मिन उत्तर की 0.0125 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 मिन उत्तर की 0.114 है0 कुल तादादी 1.3915 है0 पर वादी संख्या 1 अशोक कुमार के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 332/423 (46) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 की 0.228 है0, 9 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0 प0 नं0 332/422 (43) के किला नं. 21 मिन दक्षिण पूर्वी की 0.127 है0, 22 मिन दक्षिण की 0.126 है0, 23 मिन दक्षिण की 0.127 है0, 24 मिन दक्षिण की 0.126 है0 25/1 मिन दक्षिण की 0.0125 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/2 मिन दक्षिण 0.114 है0 कुल तादादी 1.3915 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 पवन कुमार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021.
कैम्प कोर्ट...ललानाबास उतरादा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अशोक कुमार पुत्र देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।

बनाम

वादीगण

1. राजकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. मनोहरलाल पुत्र भीखमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
3. शंकरलाल पुत्र भीखमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
4. रूकमणी पत्नी देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
5. दिव्या पुत्री देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
6. ललिता पुत्री देवीदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1043 सन 2021 निर्णय दिनांक- 08.11.2021


आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता

कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.6020 है0 भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0 नं0 343/417 (14) के किला नं. 4/1 की 0.228 है0, 4/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/1 की 0.2270 है0 5/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6 व 15 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 343/416 (11) के किला नं. 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है0 व 24 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 344/417 (15) के किला नं. 1/1 की 0.227 है0 1/2 की 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 20 की 0.253 है0, 21/1 की 0.107 है0, 21/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 21/3 की 0.108 है0 भूमि प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 21 मिन पूर्व की 0.1265 है0 कुल तादादी 3.9215 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 10 मिन दक्षिण की 0.0375 है0, 11 मिन पूर्व की 0.2405 है0, 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 19 की 0.253 है0, 20 मिन पूर्व की 0.2405 है0, 21 मिन मध्य की 0.1140 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 344/417 (15) 2/1 की 0.228 है0, 2/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/1 की 0.228 है0, 3/2 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13/1 की 0.107 है0, 13/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 13/3 की 0.108 है0, 18 की 0.253 है0, 19/1 की 0.107 है0, 19/2 की 0.038 है0 गै0 मु0 खाला, 19/3 की 0.108 है0 कुल तादादी 3.9215 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 344/416 (10) के किला नं. 8 ता 9 प्रत्येक की 0.253 है0, 10 मिन उत्तर की 0.2155 है0, 11 मिन पश्चिम की 0.0125 है0, 20 मिन पश्चिम की 0.0125 है0, 21 मिन पश्चिम की 0.0125 है0 कुल तादादी 0.759 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 96/96 के कुल खसरे 22 का कुल क्षेत्रफल 4.3010 है0 भूमि में से 7/17 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 यथावत रखी जावे तथा रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 24/24 के कुल खसरे 14 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि में से प० नं० 332/423 (46) के किला नं. 1/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 1/2 की 0.228 है०, 10 की 0.253 है०, 11 की 0.253 है० प० नं० 332/422 (43) के किला नं. 21 मिन उत्तर पश्चिम की (पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर बीघा के आधा हिस्सा तक चौड़ाई 1 गट्ठा रहेगी) 0.126 है०, 22 मिन उत्तर की 0.127 है०, 23 मिन उत्तर की 0.126 है०, 24 मिन उत्तर की 0.127 है०, 25/1 मिन उत्तर की 0.0125 गै० मु० रास्ता, 25/2 मिन उत्तर की 0.114 है० कुल तादादी 1.3915 है० पर वादी संख्या 1 अशोक कुमार के नाम दर्ज की जावे तथा प० नं० 332/423 (46) के किला नं. 2/1 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.228 है०, 9 की 0.253 है०, 12 की 0.253 है० प० नं० 332/422 (43) के किला नं. 21 मिन दक्षिण पूर्वी की 0.127 है०, 22 मिन दक्षिण की 0.126 है०, 23 मिन दक्षिण की 0.127 है०, 24 मिन दक्षिण की 0.126 है० 25/1 मिन दक्षिण की 0.0125 है० गै० मु० रास्ता, 25/2 मिन दक्षिण 0.114 है० कुल तादादी 1.3915 है० भूमि पर वादी संख्या 2 पवन कुमार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट..ललानाबास उतरादा